11-04-18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। साक्ष्य हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर मिसल वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 01-05-18 को पेश हो।

09-05-18

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से बयान शपथ पत्र PW1 पेश किया जो शामिल मिसल रहे। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह शून्य रही। वकील वादी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें से वादी अपने 2.00 बीघा हिस्से की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा कर अलग खाता कायम करवाना चाहता है जिसके लिए वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है वादी ने अपने साक्ष्य से अपने दावा कथनों व पेश दस्तावेजों को प्रमाणित कराया है। वादी का दावा मात्र खाता विभाजन का है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बोलनी विभाजन के अनुसार वादी के 2.00 बीघा हिस्से की कब्जा काश्त ख०नं० 617/500 के दक्षिणी हिस्से की भूमि पर है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर दावा में डिक्री फरमाई जावे। वकील वादी की बहस सुनी जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वादी ने अपने दावा में वादग्रस्त कृषि भूमि के समस्त खातेदारों व हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है जो विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है वादी का दावा मात्र खाता विभाजन का है जिसमें वादी द्वारा सह-खातेदारों के खिलाफ कोई हानिकारक अनुतोष नहीं चाहा गया है केवल अपने खातेदारी में दर्ज हिस्से की भूमि का विभाजन चाहा है तथा अपने हिस्से की 2 बीघा भूमि का निर्विवाद कब्जा काश्त ख०नं० 617/500 तादादी 4-17 बीघा में दक्षिणी तरफ के हिस्से पर बताया है जिस पर प्रतिवादीगण की तरफ से कोई एतराज या आपत्ति पेश नहीं हुई है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में 2.00 बीघा का खातेदार काश्तकार होने से नियमानुसार अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रारम्भिक रूप डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नं० 176, 177, 376/310, 378/313, 597/178, 617/580, 619/595 तादादी क्रमशः 0.2150, 0.1012, 0.3161, 6.1968, 1.1635, 1.2267, 0.6324 हैक्टेयर कुल तादादी 9.8517 हैक्टेयर रोही ग्राम भैंसेसर में वादी के 40/779 हिस्सा (0.5058 हैक्टेयर) का खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू से उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जावें। निर्णय लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया। तहसीलदार चूरू को विभाजन प्रस्ताव आज ही शिविर के दौरान पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार, चूरू की ओर से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया जाकर अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव ग्राम के मौतबिरान व सरपंच ग्राम पंचायत की उपस्थिति में वादी के निर्विवाद कब्जा काश्त के अनुसार तैयार कर भिजवाया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने अपनी सहमति देते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया है। वादगत कृषि भूमि के शेष खातेदारान पर एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन है वह रहन ही दर्ज रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो कर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार चूरू डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। निर्णय लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	